फर्द अहकाम

दामोदर बनाम अशोककुमार व अन्य

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

24/2024 (टी. आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. हेतु अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अवसर चाहा गया है। अतः पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. दिनांक 12/11/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय–जयपुर	
12/11/24	आज दिनांक 12/11/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/11/24 को पेश हों।	
20/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. पर सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीगण की ओर से वादी ग्राम बीलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नं. 683 रकबा 0.4400 है. के सन्दर्भ में वाद मीट्स एंड बाउण्ड्स विधिक विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जो लम्बित है। जिसके अन्तर्गत प्रार्थीगण (वादीगण) का [illegible] (कुल 1/4 हिस्सा) दर्ज मिहित है। [illegible] की खातेदारी की [illegible] के विधिक विभाजन हेतु [illegible] एवं अपेक्षित भूमि के विधिक विभाजन होने तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:56:02 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

रामोदर बनाम अशोक कुमार व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 22/2024 (प्रा.पत्र टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/11/24	जाने हेतु प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र टी.आई. के सन्दर्भ में किसी प्रकार की उज्र आपत्ति अथवा जवाब हेतु अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किए जाने व नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय हाजा में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. का किसी भी स्तर पर व किसी भी रूप में कोई समुचित / औपचारिक खंडन अथवा भूमि के विधिक विभाजन व विधिक विभाजन होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने बाबत किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि प्रकरण अभिलेखित खातेदारान अनुसार भूमि के विधिक विभाजन मांग से सम्बन्धित है। जिससे वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत भूमि को संरक्षित रखा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अभिलेखित वाद अधीन भूमि ख.नं. 683 रकबा 0.4500 हे. की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत पाबन्द फरमाया जावे। हमने प्रार्थीगण [illegible] की व प्रार्थनापत्र टी.आई. पर सुनी, तथ्यों पर [illegible] किया व पत्रावली का [illegible] किया। पत्रावली के [illegible] समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण की ओर से [illegible] अभिलेखित खातेदारान की भूमि के विधिक विभाजन के सन्दर्भ में मूलवाद प्रस्तुत किया गया है, जो लम्बित है। साथ ही भूमि के विधिक विभाजन तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

रामोदर बनाम अशोक कुमार व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 22/2024 (प्रा.पत्र टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/11/24	हस्तगत प्रार्थनापत्र टी.आई. प्रस्तुत किया गया है। जिसके क्रम / संदर्भ में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 21.5.24 को पारित किया गया है। जो आज दिनांक तक प्रभावी है। उक्त संदर्भ में कोई उज्र आपत्ति अथवा कोई समुचित / औपचारिक खंडन व जवाब किसी भी अप्रार्थी पक्षकार द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है अपितु अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद विधिवत प्राप्ति नोटिस व जानकारी के न्यायालय हाजा में उपस्थिति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में पारित किए जा चुके हैं। अतः चूँकि प्रकरण में किसी भी अप्रार्थी पक्षकार द्वारा किसी भी मान्य / समुचित स्तर पर वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. का कोई खंडन अथवा किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है तथा वाद बहुलता के दृष्टिगत व पक्षकारान हित में भी भूमि वादग्रस्त को संरक्षित रखा जाना आवश्यक व न्यायोचित समझते हैं। अतः न्यायहित व वाद बहुलता के दृष्टिगत पूर्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 21.05.24 को तार्फैसला मूलवाद स्थाई किया जाकर अप्रार्थीपक्षकारान को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम भीलपुरा तह. आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि ख.नं. 683 रकबा 0.4500 हे. की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। विरासत नामांतकरण के संदर्भ में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:56:02 IST
Reason: SelfAttested